E Content for the student of Patliputra University

Sub - Political Science

Class - B.A (Hons) Part - II Paper II

Topic - Lok sabha of indian Parliament

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Professor - Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान की धारा 79 के अन्तर्गत विधायिका की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। संसद के तीन अंग हैं — दो सदन - राज्य सभा और लोक सभा तथा तीसरा अंगीभूत अंग के रूप में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए कि कोई विधेयक मात्र दोनों सदनों से पारित किये जाने के बावजूद कानून नहीं बन सकता, जबतक कि उसपर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो। इसलिए राष्ट्रपति को भी भारतीय संसद का अंग माना गया है।

राज्य सभा संसद का उच्च किन्तु द्वितीय सदन है। उच्च सदन के कारण इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थिति ब्रिटिश लार्ड सभा, अमेरिकी सीनेट जैसी है। यह लोकप्रिय सदन नहीं कहा जाता है।

लोक सभा संसद का निम्न किन्तु प्रथम सदन है। इसकी स्थिति ब्रिटिश कॉमन सभा की है। यह लोकप्रिय सदन है तथा सरकारों का बनना या बिगड़ना इसी सदन के समीकरणों पर निर्भर करता है। वस्तुतः यही सदन संसद की पहचान व्यावहारिक रूप में रखता है।

लोक सभा का संगठन

लोक सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में होता है। लोक सभा की सदस्य संख्या फिलहाल 545 है जिसमें दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। शेष सदस्यों का चुनाव सम्पूर्ण राष्ट्र को

543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक से एक सदस्य के चुनाव के द्वारा होता है। सदस्यों का सामान्य कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ अर्थात 5 वर्ष का होता है। बीच में लोकसभा भंग कर दिये जाने के कारण पुनः चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों का कार्यकाल कम हो जाता है। इसी प्रकार संवैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत अगर विशेष स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो सदस्यों का कार्यकाल बढ़ जाता है।

सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की अर्हता 25 वर्ष निश्चित की गई है। सदस्यों को चुनाव के समय अपनी आर्थिक स्थिति, आपराधिक रिकार्ड का उल्लेख करना पड़ता है। सजायाफ्ता व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी प्रकार संवैधानिक प्रावधानों से वंचित व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा लोकसभा स्वयं किसी निर्वाचित सदस्य की सदस्यता कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत समाप्त भी कर सकती है।

लोकसभा का अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर किसी को अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उनके पास सदन संचालन की विशेष शक्ति होती है। वे वहाँ के विभिन्न दलों तथा नेताओं का समय निर्धारित करते हैं विषयों का चयन करते हैं। कार्यस्थगन प्रस्ताव की अनुमति देते हैं। उनके नियंत्रण में मार्शलों की एक टोली होती है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य के विरुद्ध किया जा सकता है अध्यक्ष किसी सदस्य के दुर्व्यवहार के लिए सदस्यता से निलम्बित कर सकते हैं। अध्यक्ष के कार्यों में सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा विभिन्न दलों के सदस्यों में से चार-पाँच सदस्यों का एक पैनल रहता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई अध्यक्षता की जिम्मेवारी दी जाती है।

कार्य एवं अधिकार

लोक सभा के कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है

(1) विधायी कार्य — लोक सभा विधायी अंग होने के कारण विधायी कार्यों का संपादन प्रमुखता के साथ करती है। हर प्रकार के विधेयक चाहे वह धन विधेयक हो या वित्त विधेयक ; संविधान संशोधन विधेयक हो या सामान्य कानून निर्माण का विधेयक — पर लोक सभा की स्वीकृति अनिवार्य है। कोई भी विधेयक बगैर लोक सभा की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। वित्त विधेयक पर तो लोकसभा राज्य सभा के संशोधनों को नजरअंदाज कर सकती है। कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है इस पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार लोक सभा के अध्यक्ष के पास है। अतः इस आधार पर भी लोक सभा की स्थिति मजबूत है। सामान्य विधेयक में कभी कभी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है इसमें भी लोकसभा की सदस्य संख्या राज्य सभा से काफी अधिक होने के कारण निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही समझा जाता है।

(2) मंत्रिमंडल का गठन एवं नियंत्रण —

लोक सभा के मंच पर से ही मंत्रिमंडल अर्थात सरकार के गठन एवं उसपर नियंत्रण का निर्णय होता है। संविधान की धारा 75 (III) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सरकार को लोक सभा में बहुमत अवश्य रूप से बना रहना चाहिए। इसके अभाव में सरकार गिर जायेगी। सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ की हुई। मंत्रिमंडल के गठन तथा नियंत्रण में राज्य सभा की कोई विशेष भूमिका नहीं है, सिवा सरकार की आलोचना करने एवं प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति नहीं देने के। वे सरकार नहीं गिरा सकते हैं।

3. न्यायिक भूमिका — लोकसभा उन समस्त विशिष्ट पदस्थों को, जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान किया गया है, में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस कोटि में आते हैं। इस प्रकार यह लोकसभा का न्यायिक कार्य माना जा सकता है।

4. राष्ट्र का प्रतिनिधित्व — कई संसदीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संसदीय दल भाग लेता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं।

5. राष्ट्र की आवाज — लोकसभा राष्ट्र की आवाज या निर्णय के रूप में कभी कभी प्रस्ताव पारित करता है इसका अर्थ यह होता है कि खास मुद्दे पर संपूर्ण राष्ट्र का निर्णय एक है। यह प्रायः विदेशी शक्तियों को राष्ट्र की एकता प्रदर्शित करने के लिए की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय लोकसभा यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रति जन जागरूकता काफी ऊँचे स्तर पर होती है। विभिन्न दलें, नेताओं, नीतियों, कार्यक्रमों के पक्ष - विपक्ष में वे संगठित होते हैं।